

भारत सरकार

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान

(गृह मंत्रालय)

बाहरी रिंग रोड, सैक्टर - 3, रोहिणी, दिल्ली- 110085.

दिनांक:

26 OCT 2016

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), दिल्ली-85 में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर निम्न पदों को भरने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में निम्न विवरणानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित हैं:-

क्रमांक	पदनाम व वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती पद्धति	पात्रता की शर्तें
1	प्रोफेसर रु0 14300-400- 18300(पूर्व संशोधित) वेतन बैंड -4 व ग्रेड वेतन 8700 (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित)	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय और मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(i) जो मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल कैडर/विभाग में रु0 12000-16500 (पूर्व संशोधित) रु0 15600-39100 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन 7600/- या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है, और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-</p> <p>अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अपराध शास्त्र या समाजशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या समतुल्य । (पी.एच.डी. अनुसंधान का विषय विचलंतिका समाज शास्त्र/अपराध शास्त्र से संबंधित हो) (ii) पन्द्रह वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें 5 वर्ष का अनुसंधान के मार्गदर्शन का अनुभव । टिप्पणी : (i) अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी : (ii) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में</p>

				<p>तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह रा उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.फिल या स्नातकोत्तर के पश्चात् अनुसंधान कार्यपद्धति में डिप्लोमा ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति का समय: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति /संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>
2	<p>रीडर (मनोविज्ञान) रु0 10000- 325-15200 (पूर्वसंशोधित) वेतन बैंड -3 व ग्रेड वेतन 6600 (पूर्व संशोधित)</p>	01	<p>प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित)</p>	<p>प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित)</p> <p>1.केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/विश्व विद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त निकाय/अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक संगठन के अधिकारी -</p> <p>(क)(i) जो नियमित रूप से अनुरूप पद पर सेवारत हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने रु 8000-13500 (पूर्व संशोधित) रु0 15600-39100 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन 5400/- या समतुल्य वेतनमान के पद पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख)सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों.:</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>(i) आपराधिक मनोविज्ञान अथवा सामाजिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता सहित मनोविज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री</p>

				<p>अथवा समकक्ष परीक्षा</p> <p>(ii) शिक्षण या अनुसंधान में पाँच वर्ष का अनुभव टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>2. विभागीय लेक्चरर जिन्होंने ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है, प्रतिनियुक्ति के लिए उम्मीदवारों सहित उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर चयन होता है तो पद को प्रोन्नति के आधार पर भरा गया समझा जाएगा ।</p> <p>(फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हैं, वे प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । उसी तरह से, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति को प्रोन्नति के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre)पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।)</p>
3	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्राक्षेपिकी) रु0 5500-175-9000 (पूर्व संशोधित) वेतन बैंड :2 व ग्रेड वेतन 4200/-	01	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु</p>

	(पूर्व संशोधित)		<p>9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा</p> <p>(iv) वेतनमान रु 4000-6000 (पूर्व संशोधित) अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस वर्षों की सेवा ।</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;</p> <p><u>अनिवार्य:</u></p> <p>(i) भौतिकी या गणित में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा</p> <p>(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या मान्यताप्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में संबंधित विषय में शिक्षण या अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक</p>
--	-----------------	--	--

				<p>पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
4	<p>वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन) रु 5500-175-9000 (पूर्व संशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)</p>	01	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो—</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु 9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा। अथवा</p> <p>(iv) वेतनमान रु 4000-6000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2400 अथवा अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस वर्षों की सेवा</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:</p> <p><u>अनिवार्य:</u></p> <p>(i) रसायन या जैवरसायन में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा</p> <p>(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या मान्यताप्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में संबंधित विषय में शिक्षण या अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव</p>

			<p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर ● संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>वांछनीय- इन्ड्रूमेंटेशन विधि द्वारा रसायनिक यौगिकों के संश्लेषण एवं उनके विश्लेषण का एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</p>
5	<p>वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (मादक द्रव्य)</p> <p>रु 5500-175-9000(पूर्व-संशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)</p>	01	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत् हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु 9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्वसंशोधित) रु</p>

			<p>5200-20200 (संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा अथवा</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या मान्यताप्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में संबंधित विषय में शिक्षण या अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</p>	
6	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक)	01	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित)	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता

<p>रु 5500-175-9000(पूर्व-संशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)</p>	<p>या आमेलन</p>	<p>प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) वेतन बैंड -2 + ग्रेड वेतन रु 4200 (पूर्व संशोधित) अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) वेतन बैंड: 1 + ग्रेड वेतन रु 2800 (पूर्व संशोधित) अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में संबंधित विषय में शिक्षण या अनुसंधान में या किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से</p>
---	-----------------	---

				<p>अधिक नहीं होगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</p>
7	<p>वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विष विज्ञान)</p> <p>रु0 5500-175-9000(पूर्व-संशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)</p>	01	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जोश</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत् हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु 9300-34800 (वेतन बैंड:2) + ग्रेड वेतन रु 4200 (पूर्व संशोधित) अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा</p> <p>(iv) वेतनमान रु 4000-6000 (पूर्वसंशोधित) रु 5200-20200 (संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2400 (पूर्व संशोधित) अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस वर्षों की सेवा</p> <p>अनिवार्य -</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।</p>

			<p>(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में संबंधित विषय में शिक्षण या अनुसंधान में या किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre)पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</p> <p>टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे।</p>	
8	<p>वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सिरॉलॉजी)</p> <p>रु 5500-175-9000(पूर्व-संशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)</p>	01	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन:</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्वसंशोधित) रु 9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन</p>

वर्षों की सेवा; अथवा

(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैंडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा या

(iv) वेतनमान रु 4000-6000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2400 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैंडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस वर्षों की सेवा

अनिवार्य अर्हता-

(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायलोजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इम्यूनॉलोजी या हिमैटॉलोजी संबंधी कार्य का अनुसंधान विश्लेषण या शिक्षण का एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति

				हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए'। टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे।
9	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी) रु 5500-175-9000(पूर्व-संशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु 9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4000-7000 (पूर्वसंशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;</p> <p>अनिवार्य अर्हता-</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या किसी मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य या संबंधित विषय में अनुसंधान विश्लेषण या शिक्षण का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित</p>

				<p>जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
10	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विधि फोटोग्राफी) वेतन बैंड 9300-34800 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु 9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा या</p> <p>(iv) वेतनमान रु 4000-6000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2400 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस</p>

वर्षों की सेवा

(ख)सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;

अनिवार्य अर्हता:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) काले, सफेद और रंगीन फोटोग्राफी सहित कई प्रकार के डिजिटल कैमरों का अनुभव, स्केनर, प्रिंटर और फोटोग्राफी से संबंधित सॉफ्टवेयर, विडियो रिकॉर्डिंग का ज्ञान, रंगीन रसायनों को तैयार करना, विकसित करना, प्रिंटिंग करना और स्लाइड प्रोसेसिंग करने का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:

1. अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।

2 यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है ।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा या समतुल्य

(ii) फोटोमाइक्रोग्राफी सहित डिजिटल फोटोग्राफी, विडियोग्राफी और रंगीन फोटोग्राफी का एक वर्ष का अनुभव

(iii) काले और सफेद और रंगीन फोटोग्राफी में शिक्षण और प्रशिक्षण का एक वर्ष का अनुभव

टिप्पणी: केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे।

केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी

				अन्य संवर्ग-बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
11.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान) रु 5500-175-9000 (पूर्वसंशोधित) वेतन बैंड -2 व ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन	<p>प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन:</p> <p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी जो--</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) वेतनमान रु 5000-8000 (पूर्व संशोधित) रु 9300-34800 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 4200 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतनमान रु 4500-7000 (पूर्व संशोधित) रु 5200-20200 (पूर्व संशोधित) + ग्रेड वेतन रु 2800 अथवा समतुल्य वेतनमान में मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह वर्षों की सेवा</p> <p>(ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों;</p> <p><u>अनिवार्य:</u></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या फिजिकल एन्थ्रोपॉलोजी या माइक्रो बायोलॉजी या ह्युमन जेनेटिक्स या विधि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या मान्यताप्राप्त कालेज या विश्वविद्यालय में संबंधित विषय में शिक्षण या अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पणी - (i) अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है ।</p> <p>टिप्पणी - (ii) यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी</p>

				<p>चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी - केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार के पात्र होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि : प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12	<p>प्रशासनिक अधिकारी</p> <p>वेतन बैंड: 2</p> <p>₹ 9300-34800</p> <p>+ ग्रेड वेतन 4600/-</p> <p>(पूर्व संशोधित)</p>	01	<p>प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन) के आधार पर</p>	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी जो—</p> <p>(क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में ₹ 9300-34800 (वेतन बैंड-2) + ग्रेड वेतन 4200/- (पूर्व संशोधित) या समतुल्य वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो। और</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त हो और प्रशासन, हाउसकीपिंग, बजट प्रबंधन तथा स्थापना में पाँच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं</p>

होगी।)

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से (उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनः अभियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी।

(सिविल पदों के संबंध में पुनर्नियोजन अधिवर्षिता की आयु तक)

13.	निजी सचिव रू. 6500- 10500 (पूर्व संशोधित)	01	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) व धन प्रोन्नति द्वारा]	<p>संयुक्त पद्धति प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) धन प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक प्रतिष्ठान के तहत ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिकों की श्रेणी में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू० 5500-9000 (पूर्व संशोधित) रू. 9300-34800 व ग्रेड वेतन: 4200/- (पूर्व संशोधित) या समतुल्य वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रू० 5500-9000 (पूर्व संशोधित) व रू० 5000-8000 (पूर्व संशोधित) 9300-34800 व ग्रेड वेतन: 4200/- (पूर्व संशोधित) या समतुल्य वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आशुलिपिक श्रेणी में छह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो ।</p> <p>2. विभागीय आशुलिपिक श्रेणी "ख" (वैयक्तिक सहायक) जिन्होंने उस श्रेणी में रू. 5500-9000 (संशोधित) रू० 9300-34800 व ग्रेड वेतन: 4200/- के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या आशुलिपिक श्रेणी "ख" की श्रेणी में एवं आशुलिपिक श्रेणी "ग" (5000-8000 रू०) की श्रेणी में नियमित आधार पर संयुक्त रूप से छह वर्ष सेवा की हो, के नामों पर भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ-साथ विचार किया जाएगा, और पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन की स्थिति में, पद को प्रोन्नति के आधार पर भरा गया माना जाएगा ।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय</p>
-----	--	----	--	---

				सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो ।
14	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' रू. 9300-34800 व ग्रेड वेतन रू. 4200/- (पूर्व संशोधित)	03	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	<p>केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड: I + वेतन ग्रेड रू0 2400 (पूर्व संशोधित) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो ।</p> <p>टिप्पणी-1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पणी-2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो ।</p> <p>टिप्पणी-3 प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से (उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित समरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतन के</p>

				साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह वेतन केवल उस पद (उन पदों) के लिए, विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।
15.	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक रू. 9300-34800 व ग्रेड वेतन रू. 4200/- (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) के आधार पर	<p>केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्धसरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं अथवा (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात रूपये 5200-20200 वेतनमान + वेतन ग्रेड रू० 2800 (पूर्व संशोधित) या समतुल्य में नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा की हो । अथवा (ख) निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों ।</p> <p>अनिवार्य अर्हता:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिग्री या समतुल्य । (ii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/अर्ध-सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन/मान्यता प्राप्त अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थान के अधीन दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पणी-</p> <p>1. केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहिततीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

				2. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो।
16.	संपदा सहायक रू. 5200- 20200 व ग्रेड वेतन रू. 2800/- (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	अनिवार्य अर्हताएं (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12 वीं पास या समतुल्य । (ii) संपदा प्रबंधन व उससे संबंधित कार्य कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । (iii) कम्प्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी में टंकण का ज्ञान। वांछनिय इंजिनियरिंग में डिप्लोमा । प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
17.	अवर श्रेणी लिपिक रू. 5200- 20200 व ग्रेड वेतन रू. 1900/- (पूर्व संशोधित)	02	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ।
18.	पुस्कालय परिचर (वेतनबैंड 5200- 20200 ग्रेड वेतन रू0 1900/- (पूर्व संशोधित)	01	प्रतिनियुक्ति के आधार पर	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या विश्वविद्यालयों सार्वजनिक उपक्रमों या सवैधानिक या स्वतंत्र संगठनों के अधीन ऐसे कर्मचारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों । (ii) वेतन बैंड-1 (रू0 5200-20200) व ग्रेड वेतन 1800/- (पूर्व संशोधित) में मूल कैडर/विभाग में तीन वर्षों की नियमित सेवा; अथवा

				<p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखता हो:</p> <p>1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टिप्पणी 1 केन्द्र सरकार या उसके किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2 प्रतिनियुक्ति आधार पर (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
19.	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) रू. 5200-20200 व ग्रेड वेतन रू. 1800/- (पूर्व संशोधित)	03	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रम के अधीन अधिकारी जो-- (क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या प्रतिनियुक्ति की अवधि: साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
20.	छात्रावास परिचर रू. 5200-20200 व ग्रेड वेतन रू. 1800/- (पूर्व संशोधित)	04	प्रतिनियुक्ति/ (अल्पकालिक संविदा सहित)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रम के अधीन अधिकारी जो-- (क) (i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर सेवारत हो; या प्रतिनियुक्ति की अवधि: साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
21.	कैंटीन परिचर 5200-20200 व ग्रेड वेतन रू. 1800/- (पूर्व संशोधित)	02	प्रतिनियुक्ति	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि: साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी: उच्चतर वेतन प्राप्त कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं परंतु उनके वेतन का नियमन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का0ज्ञा0 संख्या 16/4/2012-वेतन.1 दिनांक 05 नवंबर 2012 के अनुसार किया जाएगा ।

2. क्रमांक 1 से 11 तक चयनित अधिकारियों का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के दिनांक 17 जून 2010 के का0 ज्ञा0 संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । तथापि, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के दिनांक 27 दिसंबर 1993 के का0 ज्ञा0 संख्या 13024/2/90-प्रशिक्षण तथा दिनांक 05 सितंबर 2008 के का0 ज्ञा0 संख्या 13024/1/2008-प्रशिक्षण-1 के प्रतिनियुक्ति भत्ते के स्थान पर उनके द्वारा अपने मूल विभाग में प्राप्त किए जा रहे मूल वेतन के 30% की दर से वे प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त कर सकेंगे । उन्हें प्रशिक्षण भत्ते के स्थान पर संबंधित वेतन प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा । क्रमांक 12 से 21 तक चयनित अधिकारियों का वेतन समय-समय पर संशोधित कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के दिनांक 17 जून 2010 के का0 ज्ञा0 संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. उपर्युक्त पद हेतु स्वैच्छिक व्यक्तियों को चयन होने के बाद नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । वांछित बायो-डाटा और गोपनीय रिपोर्ट डोज़िअर के बिना संस्तुत उम्मीदवारों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4. पात्रता रखने वाले इच्छुक और उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन पत्र, जिन्हें चयन किए जाने पर तुरंत कार्य मुक्त किया जा सके, "रोज़गार समाचार" में इस परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), रोहिणी, सेक्टर - 3, आउटर रिंग रोड, दिल्ली -85 को, अनुलग्नक -1 दो प्रतियों में, यदि पिछले दस वर्षों में आवेदक को कोई मुख्य/लघु दण्ड दिया गया है तो उसकी विजिलेंस क्लीयरेंस एवं पाँच वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट की साक्ष्यांकित फोटोप्रतियों के साथ अग्रेषित कर दिए जाएं ।

कृपया हमारी वेबसाइट www.nicfs.nic.in का अवलोकन करें ।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है:-

1. भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव
3. सभी केन्द्रीय एवं राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं
4. सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन
5. सभी विश्व-विद्यालयों के रजिस्ट्रार
6. सभी अर्ध-सरकारी संगठन
7. सभी सार्वजनिक उपक्रम
8. सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान
9. संपादक (विज्ञापन), रोजगार समाचार, पूर्वी ब्लॉक- 4, लेवल - V, आरके पुरम, नई दिल्ली - 66 - रोजगार समाचार में यथाशीघ्र प्रकाशनार्थ । अनुरोध है कि प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम संख्या में

उम्मीदवार आकर्षित करने के लिए 'रोज़गार समाचार' में स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाए। कृपया जिस 'रोज़गार समाचार' अंक में उक्त परिपत्र को प्रकाशित किया जाए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को रिकार्ड हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

अनुलग्नक : यथोपरि।

5.9.2016
25/10/2016
(हरीश चन्द्र पाण्डेय)
प्रशासनिक अधिकारी

बायो-डेटा प्रारूप

1. नाम तथा पता
2. जन्म तिथि (ईसवी में)
3. (i) सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि
(ii) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त की तारीख
4. शैक्षिक अर्हता
5. क्या आप उपरोक्त पद के लिए मांगी गई आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताओं से संतुष्ट हैं (यदि राज्य द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार कोई योग्यता समतुल्य मानी गई है तो)
6. ऊपर दी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं एवं कार्य अनुभव को पूरा करते हैं ?
7. पिछली नियुक्तियों का कालक्रम से ब्योरा:(स्थान कम होने पर अलग से हस्ताक्षरित शीट संलग्न करें)
- 8.

कार्यालय/संस्थान/ संगठन	नियमित पद का नाम	से	तक	नियमित पद में वेतनमान, वेतन बैंड और वेतन ग्रेड	ड्यूटी की प्रकृति (पूर्ण सूचना) पद के लिए जरूरी अनुभव को हाइलाइट करें

आवश्यक: ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी के व्यक्तिगत होते हैं अतः इन्हें ना दर्शायें । केवल नियमित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान को ही दर्शायें । यदि वर्तमान के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. जैसे लाभ आवेदक द्वारा आहरित किये गये हैं तो उन्हें निम्नानुसार दर्शायें ।

कार्यालय/संस्थान/ संगठन	ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

9. वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात्, तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी ।
10. वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो इस स्थिति में स्पष्ट करें कि:

(क) प्रथम नियुक्ति की तिथि	(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा की नियुक्ति का समय	आवेदक मूल कार्यालय में/विभाग का नाम	मूल संगठन में धारित पद का नाम एवं वेतन

11. यदि आवेदक द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर कोई पद धारण किया हो तो उससे वापसी की तिथि एवं अन्य सूचना ।
12. वर्तमान रोजगार के बारे में अन्य सूचनाएं । कृपया बतायें कि किसके अधीन कार्यरत हैं :
- (क) केन्द्र सरकार
(ख) राज्य सरकार
(ग) स्वायत्त संगठन
(घ) सरकारी उपक्रम
(ड.) विश्व-विद्यालय
(च) अन्य
13. कृपया बतायें क्या आप इसी विभाग विभाग में कार्यरत हैं और पोषक श्रेणी या पोषक से पोषक श्रेणी में हैं ।
14. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं । यदि हाँ तो संशोधन की तिथि बताएं तथा पूर्व संशोधित वेतनमान को भी अंकित करें ।
15. वर्तमान में कुल आहरित मासिक पारिश्रमिक

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड-वेतन	कुल पारिश्रमिक

16. यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंध रखता हो जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान का अनुसरण न किया जाता हो तो इस प्रकार के मामले में उस संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन-पर्ची प्रस्तुत करें जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाया गया हो:

वेतनमान सहित मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर	महंगाई वेतन/अंतरिम छूट/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप के विवरण सहित)	कुल पारिश्रमिक

17. (क) जिस पद के लिए आवेदन दिया गया है उसके संबंध/समर्थन में अन्य सूचना,

यदि कोई हो।

(इसके अंतर्गत (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यतायें (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण (III) उपरोक्त रिक्त पदों के परिपत्र/विज्ञापन में मांगे गये कार्य अनुभव के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं दर्शायी जाएं।)

17. (ख) उपलब्धियां

आवेदकों से अनुरोध है कि वह निम्न के संबंध में सूचनाएं दें:

- (I) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट और विशेष योजना -----
- (II) अवार्ड/स्कोलरशिप/सरकारी सराहना -----
- (III) व्यावसायिक मंडल/संगठन/सोसाइटी आदि से संबंध -----
- (IV) आवेदक एकस्व अधिकार या उसके द्वारा संगठन के लिए प्राप्त उपलब्धियां-----
- (V) अन्य अनुसंधान/ सरकारी मान्यता प्राप्त कोई नवप्रवर्तनशील उपाय -----
- (VI) कोई अन्य सूचना -----

18. कृपया बतायें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार (केवल केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के तथा गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारी केवल अल्पकालिक संविदा के योग्य/पात्र होंगे।

(अल्पकालिक संविदा/आमेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा यदि रिक्ति संबंधी परिपत्र/विज्ञापन में अल्पकालिक संविदा या आमेलन या पुनर्नियोजन दर्शाया गया हो।

19. क्या आप अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।

मैंने उपरोक्त पद के लिए दिये गये परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा यह भी भलीभांति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया आत्मवृत्त विवरण तथा अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा पद के चयन के समय किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य हैं, कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरे चयन को चयन को रोके, नहीं छुपाया गया है।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पता:

नियोक्ता/कैंडिड नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई सूचना/विवरण सत्य तथा सही हैं। आवेदक की शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रिक्ति परिपत्र के अनुसार हैं, यदि आवेदक का चुनाव हो जाता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (I) श्री/श्रीमती ----- के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित नहीं है ।
- (II) इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है ।
- (III) मूल गोपनीय रिपोर्ट संलग्न है/अवर सचिव रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संलग्न हैं ।
- (IV) पिछले 10 वर्षों में किसी प्रकार का छोटा या बड़ा दंड अधिकारी पर आरोपित नहीं किया गया है सूची संलग्न है । यदि पिछले 10 वर्षों में अधिकारी पर किसी प्रकार का छोटा या बड़ा दंड आरोपित है तो विवरण संलग्न करें ।

प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर
नियोक्ता/कैंडर नियंत्रण अधिकारी